MRA Saxette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II — Section 3 — Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819] No. 819] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2006/आवण 6, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2006/SRAVANA 6, 1928

गृह मंत्रालय

अधिस्चना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2006

का.आ. 1216(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 28 जुलाई, 2006 को उस दिन के रूप में नियत करती है जिस दिन को उक्त अधिनियम की धारा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 75, 77 और 79 प्रवृत्त होंगी।

[फा. सं. 30/1/2006-एनडीएम-III(क)]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2006

S.O. 1216(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby appoints the 28th day of July, 2006 as the date on which the provisions of Sections 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 75, 77 and 79 of the said Act shall come into force.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.